न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2022

महेन्द्रसिह पुत्र कुरडाराम, जाति जाट, निवासी किठाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. संदीप चौधरी, आर0ए0एस0 हाल उपखण्ड अधिकारी, चिडावा जिला झुंझुनूं।
2. ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा, जिला झुंझुनूं जरिये ग्राम सचिव।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

– – –

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– – –

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री अशोक लाम्बा, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 व 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.04.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि आवेदक आराजी हाल खसरा नम्बर 1301 सरहद मौजा किठाना तहत तहसील चिडावा का सहखातेदार है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में एक प्रकरण उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमात गैर मुमकीन रास्ता मुकदमा नं0 08/2021 तारीख पेशी 25.01.2022 लम्बित है। उक्त विपक्षी संख्या 1 अदालत मातहत का पीठासीन अधिकारी है। विपक्षी संख्या 2 के कहने से विपक्षी संख्या 3 ने अदालत मातहत के यहा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण दिनांक 23.11.2021 को अदालत मातहत के यहा पेश होकर दर्ज हुआ और प्रकरण को खारिज कर दाखिल दफ्तर किया गया। विपक्षी संख्या 1 ग्राम किठाना के कुछ व्यक्तियो के प्रभाव मे है और उक्त राजनैतिक प्रभाव में आकर विपक्षी संख्या 1 ने मनमाने रूप से दिनांक 30.11.2021 को पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। विपक्षी संख्या 1 ग्राम किठाना के राजनैतिक पहुच के व्यक्तियों के दवाब मे आकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर अपने पद का दुरूपयोग [illegible] सहखातेदारी के खेतो में से सहखातेदारान की बिना सहमति के राजस्व रिकार्ड में गै0 [illegible] कायम करने पर उतारू है जबकि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नही रहा है। दि[illegible] 10.12.2021 को [illegible] आवेदक ने विपक्षी संख्या 1 के यहां उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] आवेदक पर आग [illegible] गये और आवेदक को कहा कि वह आवेदक की सह[illegible] रास्ता कायम कर राज[illegible]र्ड में दर्ज करेगा। आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या 1 से यह निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कोरोना महामारी की वजह से कार्य नही करने की हिदायत दी गई है। उसके बावजूद भी आप प्रकरण में आवेदक की बिना सहमति के कार्य कर रहे है। तब भी विपक्षी संख्या 1 ने यह कहा कि उन पर राजनैतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

दबाव है और वह आवेदक कि विरूद्ध निर्णय करेगें। इस पर आवेदक को पूर्ण विश्वास हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 आवेदक के विरूद्ध निर्णय करेगें और आवेदक को न्याय की उम्मीद नही है। विपक्षी संख्या 1 प्रकरण में जो जल्दबाजी कर रहे है, इससे भी यह प्रकट होता है कि विपक्षी संख्या 1 राजनैतिक दबाव में है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना उचित व आवश्यक है। अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का मुन्तकीली आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 की अदालत मे लम्बित प्रकरण उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमा गै0मु0 रास्ता, मुकदमा नं0 08/2021 तारीख पेशी 25.01. 2022 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकील किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 201 दिनांक 09.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2, 3 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है। बिन्दू संख्या 4 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न मे अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।। बिन्दू सं0 5 मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। बिन्दू सं0 6 व 7 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक आराजी हाल खसरा नम्बर 1301 सरहद मौजा किठाना तहत तहसील चिडावा का सहखातेदार है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत में एक प्रकरण उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमात गैर मुमकीन रास्ता मुकदमा नं0 08/2021 तारीख पेशी 25.01.2022 लम्बित है। उक्त विपक्षी संख्या 1 अदालत मातहत का पीठासीन अधिकारी है। विपक्षी संख्या 2 के कहने से विपक्षी संख्या 3 ने अदालत मातहत के यहा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण दिनांक 23.11.2021 को अदालत मातहत के यहा पेश होकर दर्ज हुआ और प्रकरण को खारिज कर दाखिल दफ्तर किया गया। विपक्षी संख्या 1 ग्राम किठाना के कुछ व्यक्तियो के प्रभाव मे है और उक्त राजनैतिक प्रभाव में आकर विपक्षी संख्या 1 ने मनमाने रूप से दिनांक 30.11.2021 को पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। विपक्षी संख्या 1 ग्राम किठाना के राजनैतिक पहुच के व्यक्तियों के दवाब मे आकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर अपने पद का दुरूपयोग कर जबरदस्ती आवेदक की सहखातेदारी के खेतो में से सहखातेदारान की बिना सहमति के राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम करने पर उतारू है जबकि मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नही रहा है। दिनांक 10.12. 2021 को इस बाबत आवेदक ने विपक्षी संख्या 1 के यहां उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया तो विपक्षी संख्या 1 आवेदक पर आग बबूला हो गये और आवेदक को कहा कि वह आवेदक की सहखातेदारी के खेत में से रास्ता कायम कर राजस्व [illegible] द्वारा विपक्षी संख्या 1 से यह निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा को[illegible]री की वजह से कार्य नही करने की हिदायत दी गई है। उसके बावजूद भी आप प्रकरण में आवेदक [illegible] के कार्य कर रहे है। तब भी विपक्षी संख्या 1 ने यह कहा कि उन पर राजनैतिक द[illegible] है और वह आवेदक कि विरूद्ध निर्णय करेगें। इस पर आवेदक को पूर्ण विश्वास हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 आवेदक के विरूद्ध निर्णय करेगें और आवेदक को न्याय की उम्मीद नही है। विपक्षी संख्या 1 प्रकरण में जो जल्दबाजी कर रहे है, इससे भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

यह प्रकट होता है कि विपक्षी संख्या 1 राजनैतिक दबाव मे है। ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण का निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना उचित व आवश्यक है। अतः कि आवेदक का मुन्तकीली आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 की अदालत मे लम्बित प्रकरण उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमा गै0मु0 रास्ता, मुकदमा नं0 08/2021 तारीख पेशी 25.01.2022 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकील किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने वकील आवेदक के कथनों का कोई विरोध नही किया। वकील अप्रार्थी सं0 ने मुकदमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति नही की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने भी इस संबंध मे कोई आपत्ति नही की। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 08/2021 उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमा गै0मु0 रास्ता उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा संख्या 08/2021 उनवानी ग्राम पंचायत किठाना बनाम राजस्थान सरकार किस्म मुकदमा गै0मु0 रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में दिनांक 02.05.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested